

## अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-130वीं मई 2020

सेवा में,

श्रीमती अंजु महेश्वरी,  
सत्या लेक अवेन्यु  
काँके रोड, राँची।

विषय:- मौजा-Kathargonda, प्लॉट नं०-687/G,687/H, खाता नं०-01, वार्ड नं०-02, थाना-  
गोन्दा, जिला-राँची में प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय G+4 भवन हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह  
के संबंध में।

आपके द्वारा समर्पित ऑनलाईन प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय भवन के अग्नि-सुरक्षात्मक उपायों की जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, आर्द्र हाउस, राँची से कराई गई। उनके ज्ञापांक-164 दिनांक-12.05.2020 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय भवन के लिए निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित भवन में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम 20,000 लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ मुख्य स्टेयरकेश लॉबियों में एक डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी० लम्बा होज रील होज, 63 MM डायामेटर का डिलिवरी आउटलेट तथा दो-दो अदद डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
3. 450 Lpm क्षमता वाले एक टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
4. इन पम्प को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
5. उपर्युक्त भवन के किसी एक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 544 के०जी० से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय। सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
6. सेटबैक एरिया NBC मानक के अनुरूप होना होना चाहिए।
7. सतही तल के निकास द्वार के पास थ्रीवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
8. प्रस्तावित भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसि इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से ही कराया जाय।
9. मुख्य स्टेयरकेश लॉबी के प्रत्येक तलों पर 06 के०जी० क्षमता के 04-04 अदद डी०सी०पी० अग्निशमन यंत्र रखा जाय।
10. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Suppression System से सुरक्षित किया जाय।
11. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के०जी० क्षमता के 02-02 अदद सी०ओ०टू० तथा 06 के०जी० क्षमता के 02-02 अदद डी०सी०पी० अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
12. Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो।
13. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
14. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रैजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।

15. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
16. प्रस्तावित भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
17. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

**BANDHU  
ORAON**

Digitally signed by BANDHU ORAON  
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL  
AND DISASTER MANAGEMENT, cn=BANDHU ORAON,  
serialNumber=bbb8d056bfb786d39b4c8876db8734d26ec9  
cfaf87ab115ea2c0348e16ab6005, postalCode=834002,  
2.5.4.20=1939424e11492aab227f7c7653cba3d3feeb7bfb517  
b044a061986ba64a39d09, st=Jharkhand  
Date: 2020.05.13 15:12:44 +05'30'

(बन्धु उराँव),  
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।